


१२/१२/१९

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। अप्रार्थी स्वतंत्र अनुपासित। प्रकरण  
वर्ष २०१५ से विचाराधीन है। अतः काफी लम्बे  
समय से प्रकरण विचाराधीन होने के कारण प्रकरण  
का गुणावगुण पर विस्तारण किया जाना उचित  
है। अतः प्रकरण ६A स्वीकार किया जाता है।  
निर्णय प्रथम से लिखवाला जायद शामिल पत्रावली  
किया गया। पत्रावली फॉसल मुफार होकर काउ  
तकतिल दाखिल दफतर है।

  
अपर जिला कलेक्टर, सीकर